मैसर्स नीम करौली माईन्स प्राइवेट लि0, ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 28.11.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैसर्स नीम करौली माईन्स प्राइवेट लि0, ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 11.816 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना– 2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 27.10.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 28.11.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी तदक्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 28.11.2024 को पूर्वान्ह् लगभग 11:00 बजे परियोजना स्थल ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित कार्मिकों का स्वागत किया गया तथा परियोजना के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स कॉग्निजेंस रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा लोक जनसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0नि0बोर्ड, हल्द्वानी व उपस्थित जनता का स्वागत व अभिनन्दन कर इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना एक नई परियोजना है।

क्रमशः–2

SEIAA उत्तराखण्ड ने ईआईए संख्या— 451 दिनांक 05.10.2024 के अनुसार जारी किए गये TOR की शर्तों के अनुरूप ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार कर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लोक सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गयी थी। बोर्ड द्वारा दिनांक 28.11.2024 को लोकसुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गयी है। प्रस्तावित सोपस्टोन खनन परियोजना का स्वीकृत खनन क्षेत्र 11.816 है0 है। परियोजना ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर में प्रस्तावित है। परियोजना में खनन ओपन कास्ट अर्ध यंत्रीकृत विधि द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से 70 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्रान्तर्गत आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, परिवहन और संचार आदि जैसे संरचनाओं द्वारा भूमि का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, फसल और वृक्षारोपण के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि है। क्षेत्रान्तर्गत वन्यजीव अभ्यारण्य, इको—संवेदनशील क्षेत्र 10 किमी0 के भीतर मौजूद नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र लगातार नदी/धाराओं, जलाशयों/टैंक, झीलों/तालाबों और नहरों जैसे पानी से आच्छादित है। पर्यावरण निगरानी मार्च,2024 से मई,2024 तक आयोजित की गयी है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता NAAQS मानकों के भीतर है तथा ध्वनि का स्तर सी0पी0सी0बी0 द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्रान्तर्गत ध्वनि अनुश्रवण से पता चलता है कि क्षेत्र में दिन और रात का शोर स्तर मानकों के भीतर है। पानी की मेज आमतौर पर बहुत गहरी है और खनन गतिविधियों के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है हालांकि, मूल स्थलाकृति के समवर्ती पुनर्स्थापना, छिद्रित पानी को परेशान नहीं करेगा। टॉपसाइल पर खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव टॉपसॉइड को हटाने और इसकी डम्पिंग की मात्रा पर आधारित है। वर्तमान परियोजना में, जैसा कि शीर्ष स्तर पर अस्थायी रूप से स्टोर करने और वृक्षारोपण योजनाओं के लिए इसका उपयोग करने का प्रस्ताव है, टोपोसिल के दर्जनों के किसी भी प्रभाव की परिकल्पना नहीं की गई है। वर्तमान परियोजना में ओवरबर्डन और इंटरबर्डन डम्प से मिट्टी के कटाव की परिकल्पना नहीं की गयी है, क्योंकि ईएमपी में विस्तृत उपाय किए जाएंगे। प्रस्तावित पट्टे के कोर जोन क्षेत्र में कोई वन क्षेत्र नहीं है, चूंकि खनन गतिविधि कोर जोन तक सीमित है, सोपस्टोन के प्रस्तावित खनन के कारण बफर जोन के वनस्पतियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ने का अनुमान है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रदूषक प्रतिरोधी पेड़ों से युक्त व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा, जो न केवल प्रदूषण सिंक बल्कि शोर अवरोधक के रूप में भी काम करेगा। धूल के दमन हेतु मोबाइल स्पिंकलर द्वारा कच्ची सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जायेगा। कच्ची रोड को धँसने से बचाने हेतु हार्ड रोड बनायी जायेगी। खनन क्षेत्रान्तर्गत कोई भी सार्वजनिक भवन एवं स्मारक आदि नहीं हैं जिससे खनन गतिविधियों में कोई विस्थापन सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्रमशः—3

क्षेत्र में खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। खदान के आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल कार्य किया जायेगा। परियोजना में सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए धनराशि रू0– 03.00 (लाख में) का प्राविधान किया गया है, चूँकि कोई आरएण्डआर योजना सम्मिलित नहीं होने से परियोजना का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन इससे समाज को सभी सकारात्मक लाभ मिलेंगे और इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय आबादी को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार जैस ग्रीन बेल्ट विकास, रखरखाव दीवार/चेक डैम और ढुलाई सड़क के रख रखाव का निर्माण, रॉयल्टी, व्यापार/बिक्री कर, सेस इत्यादि के रूप में राज्य के लिए प्रत्यक्ष राजस्व में सुधार होगा। पर्यावरण प्रबंधन हेतु धनराशि रू0– 13,13,000 एवं सी0एस0आर0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु बजट व्यय की कुल धनराशि रू0– 09.00 (लाख में) का प्राविधान पाँच वर्षों हेतु किया गया है जिसको जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर परिवर्तित किया जायेगा। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री हरीश नाथ गोस्वामी ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर– श्री हरीश चन्द्र गोस्वामी द्वारा कहा गया कि क्षेत्रान्तर्गत परियोजना के स्थापित होने से कोई आपत्ति नहीं है परन्तु परियोजना के माध्यम से सभी को रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए।
2. श्री हरीश सिंह ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर– श्री हरीश सिंह द्वारा कहा गया कि मुझे परियोजना से आपत्ति है। भूमि संबंधी जो स्थिति यहां दर्शायी जा रही है वह विरोधासी है। क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से संचालित जिस परियोजना में खनन कार्य हो रहा है वह गांव से काफी दूरी पर है हम उससे संतुष्ट हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है चूंकि वहां पर हमारी बंजर जमीन व जानवरों के चारागाह थे। प्रस्तावित परियोजना में जो 11.816 है0 भूमि दिखायी गयी है इसमें हमें शंकाएं हैं। हमारे नाप खेत जिनमें मैं समझता हूँ कि खड़िया न के बराबर है पता नहीं परियोजना प्रस्तावक द्वारा कैसे सम्मिलित कर लिया गया है। ग्रामीण इससे बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं कि यह भूमि खनन वालों को कैसे दी गयी है।

क्रमशः–4

3. श्री भुवन रावत ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री रावत द्वारा अपनी बात रखते हुए कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि जिस समय यहां पर माईन्स लगायी जा रही थी उस समय हमसे कहा गया कि यह माइन्स मात्र 10—12 नाली भूमि में गांव से 500 मी0 की दूरी पर लगायी जा रही है हम लोगों से पेपरों पर हस्ताक्षर करा लिये गये बाद में देखा गया कि आवासीय भवनों के समीप ही खनन कार्य का सर्वे हो चुका है। ग्रामवासी सीधे—साधे हैं जिन्हें भूमि नाली व हैक्टेयर का कोई पता नहीं है यदि खनन कार्य हमारे आवासों के समीप होगा तो हमें मकान लगाने के लिये भी जगह नहीं है गांव के प्रत्येक परिवार में 02—03 सदस्य हैं कल वह मकान लगाने को कहां जायेंगे। हम मानते हैं कि प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावक द्वारा पैसा लगाया गया है पर आवासीय भवनों से 500 मी0 की दूरी के बाद ही खनन कार्य होना चाहिए। खनन हेतु जिस क्षेत्र फल को पूर्व में दिखाया गया था उस पर कार्य होना चाहिए वर्तमान में की गयी पिलरबन्दी पर आपत्ति है। शासन प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। खनन सर्वे हेतु आवासीय भवनों के समीप जो पिलर लगा दिये गये हैं हमारी उस पर सख्त आपत्ति है।
4. श्री ललित नाथ ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री ललित नाथ द्वारा कहा गया कि परियोजना के माध्यम से सभी को रोजगार मिलना चाहिए। नुकसान की भारपाई लिखित रूप में पट्टाधारक के साथ होना चाहिए।
5. श्री धनी नाथ ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री धनी नाथ द्वारा कहा गया कि हमें पता नहीं है यह पिलर किसने गाढ़े और प्रस्तावित भूमि कितने हैक्टेयर है और कौन से खेत कितनी नाली का है कुछ पता नहीं है कहां नाप भूमि है और कहां बेनाप भूमि है कुछ भी पता नही है। मैं 16 वर्ष से गांव में रह रहा हूँ जब हम खेत में घास काटने गये तब पिलरबन्दी के बारे में पता चला जिस पर हमारी सख्त आपत्ति है। सर्वे गांव से 01 किमी0 दूरी पर होना चाहिए। गांव के समीप ही पिलरबन्दी पर सख्त आपत्ति है।
6. श्री विशन नाथ ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री विशन नाथ द्वारा कहा गया कि जैसा कि यहां पर सभी बोल रहे हैं कि उनको पिलरों के बारे में कुछ भी पता नहीं है परन्तु यह सत्य नहीं है पिलरों के बारे में सभी को पता है तथा अवगत कराया गया कि खनन हेतु क्षेत्रफल को बनाना पड़ता है जरूरी नहीं कि आवासीय भवन के नीचे लगे पिलर से खनन कार्य होगा। प्रस्तावित खनन परियोजना आवासीय भवनों से काफी दूरी पर हैं। जिसमें सभी लोगों द्वारा खनन हेतु अपनी सहमति देते हुए अनापत्तियां दी गयी हैं।
7. श्री बलवन्त सिंह बिष्ट (परियोजना प्रतिनिधि)— श्री बिष्ट द्वारा लोकसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, प्रतिनिधि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, उपस्थित कर्मचारी एंव क्षेत्रीय जनता का लोक सुनवाई में स्वागत, अभिनन्दन एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा गया

क्रमशः—5

कि यहां पर जो आवासीय भवनों की समीप पिलर बन्दी के संबंध में प्रश्न उठाये जा रहे हैं के संबंध में स्पष्ट किया गया कि यह पिलर बन्दी अलग है। खनन नियमावली, 2017 यथासंशोधित,2023 के अनुरूप पिलर लगाये गये हैं। खनन तय मानकों के भीतर ही किया जायेगा फिर भी यदि किसी को क्षति होती है तो उसके विस्थापन की व्यवस्था नीम करौली प्रा0 लि0 करेगी। ग्रामीण गांवों से पलायन कर दूरस्थल स्थलों पर जाकर रोजगार करते हैं आज रोजगार आपके पास आया है तो ग्रामीणों का दायित्व बनाता है कि वह हँसकर आगे बढ़े और अपने आर्थिक हित कैसे सुधरे इसके लिये प्रयास करें और अपनी बातों को रखें।

तद्क्रम में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा कहा गया कि यह परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु चयनित क्षेत्रफल 11.816 है0 भूमि का अधिग्रहण नहीं है। भूमि का अधिग्रहण कोई निजी व्यक्ति नहीं कर सकता है। भूमि का अधिग्रहण केवल सरकार करती है। क्षेत्रान्तर्गत 60 प्रतिशत अनापत्तियों के आधार पर जिसका सत्यापन क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर जांच की जाती है तद्पोरान्त ही माईन्स से संबंध कार्यवाही आगे बढ़ती है। यहां पर भूमि का अधिग्रहण नहीं हो रहा है यह भूमि भूमिधरी की ही है तथा अवगत कराया गया कि माइन्स की अभी सुनवाई चल रही है। प्रस्तावित परियोजना में खनन हेतु अभी काफी समय है तथा ग्रामीणों के कथनानुसार अवगत कराया गया कि परियोजना हेतु प्रस्तावित 11.816 है0 भूमि के अनुसार 01 है0 भूमि में 50 नाली भूमि होती है जिसको ग्रामीण समझ सकते हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 11.816 है0 भूमि में एक साथ खनन कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। पट्टेदार जिस किसी की भी भूमि में खनन कार्य करेगा उससे पहले एक लिखित अनुबन्ध करेगा जिसमें मुआवजा निर्धारित होगा तद्पोरान्त ही खनन कार्य कर सकेगा। परियोजना प्रस्तावक को खनन पट्टा मिलने के उपरान्त भी वह बिना भूमिधरी की अनापत्ति के खनन कार्य नहीं कर सकता है सहमति मुआवजा तय होने के उपरान्त ही लिखित अनुबन्ध के आधार पर खनन कार्य होगा। प्रेच्छा किये जाने पर अपर जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान मे लाया गया कि क्षेत्रान्तर्गत 40 पिलर लगाया गये हैं जिस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया किया गया कि 40 पिलर एक रात में अथवा 01 दिन में तो सम्भवतः स्थापित नहीं किये गये होंगे तथा परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा की गयी कि पट्टे की स्वीकृति प्राप्त होने पर काश्तकारों से एक अनुबन्ध अवश्य ही तय कर लें उसके बाद ही खनन कार्य में आगे बढ़ें। प्रोजैक्ट में प्रस्तावित पिट कहां पर आ रहा है इसका उल्लेख नहीं किया गया है जिसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। खनन से यदि मकान का नुकसान होता है तो यह पट्टेदार की जिम्मेदारी होगी इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है। क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी, दीवाल निर्माण, मकान मरम्मत व विस्थापन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी। पट्टेदार और भूमिधरी के आपसी समझौते के आधार पर खनन कार्य होगा

क्रमशः—6

इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। पर्यावरण प्रबंधन योजना में प्रस्तावित धनराशि रू0— 13,13,000 के संबंध में प्रेच्छा किये जाने पर उपस्थित पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित धनराशि 05 वर्षों हेतु है जिस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि दीवार निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि रू0— 63,000.00 को बढ़ाये जाने की अपेक्षा की गयी। इसी प्रकार सी0एस0आर0 मद अन्तर्गत इण्टर कॉलेज में प्राविधानित धनराशि रू0— 06.00 (लाख में) क्षेत्रान्तर्गत इण्टर कॉलेज न होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट, रास्ता, मंदिर सौन्दर्य, नौले/धारों का संरक्षण, पेयजल व्यवस्था, बारातघर व पैदल रास्ते आदि गांव वालों की सहमति के आधार पर तय कर कार्य करें तथा उपस्थित ग्रामीणों को स्पष्ट कराया गया कि लोकसुनवाई का प्राविधान पर्यावरण दृष्टिगत खनन से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने हेतु सुझाव प्राप्त करने हेतु आयोजित होती है है न कि काश्तकारों के मुआवजा आदि के संबंध में होता है। खनन से पेयजल स्त्रोत प्रदूषित न हो, रास्ते व जानवरों के चारागाह क्षतिग्रस्त न हो इसके लिए लोक सुनवाई की जाती है तथा उपस्थित ग्रामीणों, परियोजना प्रस्तावक व क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक को अवगत कराया गया कि परियोजना के माध्यम से प्रस्तावित खनन क्षेत्रफल 11.816 है0 की भूमि के अन्तर्गत सरकार की भूमि भी आवश्यक होगी जिसमें खनन कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित/निषिद्ध होगा।

तद्क्रम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित सम्भ्रान्त जनता से परियोजना के संबंध में आपत्ति तथा सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए कहा कि क्षेत्र में लम्बे समय से खनन कार्य होता आ रहा है जिससे क्षेत्र के लोग भिज्ञ हैं, जो खनन कार्य के लाभ व हानि से भली—भाँति परिचित हैं। पुनः परियोजना के संबंध में आपत्तियों/सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

8. श्री भुवन नाथ ग्राम भैरूचौबट्टा तहसील व जनपद बागेश्वर— श्री भुवन नाथ द्वारा पुनः प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्रफल के संबंध में प्रश्न उठाते हुए कहा गया कि परियोजना का क्षेत्रफल कहां से कहां तक है इसको स्पष्ट किया जाय। परियोजना का कोई भी नक्शा प्रजेंटेशन में नहीं आ रहा है। गांव में काफी सार्वजनिक भूमि है जिसमें पेयजल स्त्रोत, नौले—धारे आदि हैं जिसमें खनन कार्य नहीं होना चाहिए। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा स्पष्ट किया गया कि सार्वजनकि भूमि में खनन रोकने का उत्तदायित्व क्षेत्रीय पटवारी का है तथा अवगत कराया गया कि जैसा कि यहां बताया जा रहा है कि खनन कार्य आवासीय भवनों के 500 मी0 की दूरी पर होने से खतरा है। इस संबंध में खनन पिट आवासीय भवनों से निर्धारित दूरी पर बनाये जाने की अपेक्षा परियोजना प्रस्तावक से की गयी नहीं तो निश्चित ही क्षति होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

9. श्री रवीन्द्र सिंह बोरा (परियोजना प्रस्तावक)— श्री बोरा द्वारा लोकसुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, उपस्थित कर्मचारी एंव क्षेत्रीय जनता का लोक सुनवाई में स्वागत, अभिनन्दन एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा गया

क्रमशः—7

कि यहां पर हमने पहले राजस्व विभाग, वन विभाग व पर्यावरण विभाग के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/जांच कर क्षेत्रफल 16 है0 भूमि खनन हेतु प्रस्तावित की गयी तद्पोरान्त खनन क्षेत्रफल को संशोधित कर 11.816 है0 भूमि खनन हेतु प्रस्तावित किया गया है न कि भूमि का अधिग्रहण किया गया है। क्षेत्रफल 11.816 है0 भूमि जो खनन हेतु प्रस्तावित है से गांव को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र के आस–पास कोई भी गांव नहीं है। खनन कार्य आवासीय भवनों से 500 मी0 दूरी के उपरान्त ही किया जायेगा। खनन से पेयजल जलाशय को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। खनन कार्य हेतु नियमावाली बनी हुई है जिसका प्रत्येक पट्टाधारक अनुपालन करता है। खनन नियमावली के अन्तर्गत जो पर्यावरण विभाग द्वारा तय किया गया है उसके अनुसार ही खनन कार्य किया जायेगा। ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की कोई शंका अपने मन में नहीं रखनी चाहिए कि कोई भी अपनी मनमानी से खनन कार्य करेगा। खनन कार्य का पर्यवेक्षण समय–समय पर राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। खनन कार्य संतोषजनक किया जाता है जिससे व्यापार रोजगार एवं प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति होती है। जिन गांवों में पलायन हो चुका है वहां पर इस प्रकार की परियोजना के स्थापित होने से पलायन वापस आ रहा है तभी सरकारें भी इस प्रकार के परियोजनाओं को गांवों में मंजूरी दे रही है।

अन्त में कोई सुझाव/आपत्ति प्राप्त न होने पर सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सम्भ्रान्त जनता तथा अन्य उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि प्रस्तावित परियोजना के संबधं में प्राप्त सुझाव महत्वपूर्ण हैं। सुझावों को जनसुनवाई के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जायेगा तथा परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा की गयी कि संबंधित लोगों के सहमति से नियमानुसार खनन कार्य किया जोयगा तथा अध्यक्ष महोदय के अनुमति से लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति दर्ज पंजिका की गयी।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(एन0एस0 नबियाल),
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मैं० नीम करोली माइंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम- भेरूचौबट्टा, तहसील - बागेश्वर, जिला- बागेश्वर में सोप स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल - 11.816 हेक्टेयर) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण :-

सुनवाई स्थल :- निकट परियोजना स्थल

समय एवं तिथि :- प्रातः 11:00 बजे, दिनांक - 28/11/2024

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	एन. एस. नबियाल	अपर- जिलाधिकारी, बागेश्वर	
2.	हरीश चन्द्र जोशी	सहा० वैज्ञा० अधिकारी, (उ०प्र० नि० बोर्ड, हल्द्वानी)	
3.	अजय शर्मा	कॉन्जीनेंस रिसर्च प्रा० लि० नोएडा	
4.	आयुष नेगी	वैज्ञा० सहा० (उ०प्र० नि० बोर्ड, हल्द्वानी)	
5.	कुंदन सिंह टाकुली	PA to ADM	
6.	जगदीश धारिहार	रा० इ० का० नि०	
7.	गोकुल सिंह शोटेला	ग्रा० नि०	
8.	रविन्द्र बोरा	माइन ओनर	
9.	Balwant Singh	बागेश्वर	
10.	हरीश नाथ गोस्वामी	भेरू चौबट्टा	हरीश
11.	नारायण नाथ	भेरू चौबट्टा	नारायण नाथ
12.	हरीश नाथ	भेरू चौबट्टा	
13.	HARISH SINGH	Chaurac Chaubatta	
14.	गोपाल नाथ	गोपाल नाथ	गोपाल नाथ
15.	Chandan Nath	Bheru Choubatta	
16.	गोकुल गिरी	Gokul Goswami	Gokul
17.	धन सिंह	भेरी चौबट्टा	
18.	Laxman Bisht (परियोजना प्रस्तावक)	Mine Partner	Laxman Bisht
19.	Bhavesh Bora	Mine worker	B Bora
20.	Deepak Singh	Bageswar	Deepak
21.	Chetan Bhatiya	Bageshwar	भाटिया
22.	विनीत	बागेश्वर	
23.	जगदीश नाथ	Van [illegible]	
24.	ललित नाथ	भेरू चौबट्टा	
25.	चंदन नाथ	भेरू चौबट्टा	चंदन नाथ

लोक सुनवाई
खनन परियोजना – मैसर्स नीम करौली माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्राम – भैरूचौबट्टा, तहसील एवं जिला – बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सोप स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल– 11.816 है0)
लोक सुनवाई स्थल – ग्राम – भैरूचौबट्टा
समय व तिथि – प्रातः 11 बजे, दिनाँक 28 नवम्बर 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक – क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UKPCB
आवास विकास कॉलौनी-हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
परियोजना प्रस्तावक – रवीन्द्र बोरा, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, हरीश
पर्यावरण सलाहकार – मै0 कॉग्नीजेंस रिसर्च इण्डिया प्रा0 लि0

लोक सुनवाई
खनन परियोजना – मैसर्स नीम करौली माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्राम – भैरूचौबट्टा, तहसील एवं जिला – बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सोप स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल– 11.816 है0)
लोक सुनवाई स्थल – ग्राम – भैरूचौबट्टा
समय व तिथि – प्रातः 11 बजे, दिनाँक 28 नवम्बर 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक – क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UKPCB
आवास विकास कॉलौनी-हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
परियोजना प्रस्तावक – रवीन्द्र बोरा, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, हरीश
पर्यावरण सलाहकार – मै0 कॉग्नीजेंस रिसर्च इण्डिया प्रा0 लि0

खनन परियोजना – मैसर्स नीम करौली माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्राम – भैरूचौबट्टा, तहसील एवं जिला – बागेश्वर (उत्तराखण्ड)
सोप स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल– 11.816 है0)
लोक सुनवाई स्थल – ग्राम – भैरूचौबट्टा
समय व तिथि – प्रातः 11 बजे, दिनाँक 28 नवम्बर 2024
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक – क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परियोजना प्रस्तावक – रवीन्द्र बोरा, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, हरीश
पर्यावरण सलाहकार – मै0 कॉग्नीजेंस रिसर्च इण्डिया प्रा0 लि0